न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 25 / 2018 एल.आर. एक्ट (हनुमानगढ)

1. पदमाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. चुन्नीलाल पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थितः 1. श्री राजेन्द्र सिह भास्कर – अभिभाषक अपीलांट्
उपस्थितः 2. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 25–02–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 22–01–2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टगण को दिनांक 6.5.1987 को तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा पट्टा बडोपल बारानी के खसरा संख्या 1192, 1284, 1293 की 3.795 हैक्टर भूमि का आराजी काश्त हेतु आवंटन किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध तहसीलदार पीलीबंगा ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के संमक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर उक्त भूमि को विलोपित करने का किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने रेस्पोडेन्ट का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं. 2987 / 1192 / 1.518 हैक्टैयर 2988 / 1284 / 0.759 हैक्टैयर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2989/1293 /1.518 हैक्टैयर रकबा को निरस्त करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.3.18 को दर्ज होकर विभिन्न चरणो से गुजरती हुई बहस हेतु मुकर्रर दिनांक 5.2.19 को अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के दौरान बार–बार आवाजे लगवाई गई तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर राजकीय अभिभाषक की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट्स से अपनी अपील मीमो पर अंकित किया कि अपीलान्टगण को दिनांक 6.5.1987 को तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा पट्टा बडोपल बारानी के खसरा संख्या 1192, 1284, 1293 की 3. 795 हैक्टर भूमि का का आराजी काश्त हेतु आवंटन किया गया था। इस आदेश के विरूद्व तहसीलदार पीलीबंगा ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के संमक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर ग्राम बडोपल की जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 165 पदमाराम एवं चुन्नीलाल पुत्र रूपाराम खसरा संख्या 2987/1192 तादादी 1.518 हैक्टर खसरा संख्या 2988/1284 तादादी 0.759 हैक्टर खसरा संख्या 2989 /1293 तादादी 1.518 हैक्टर कुल तादादी 3.795 हैक्टर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को विलोपित करने का किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने रेस्पोडेन्ट का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं. 2987/1192/1.518 हैक्टैयर 2988/1284/ 0.759 हैक्टैयर 2989/1293 /1.518 हैक्टैयर रकबा को निरस्त करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे । अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपनी अपील मीमो पर आगे अंकित किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया था, जिसमे केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किए जाने के अधिकार है किसी व्यक्ति की भूमि को अथवा उसके आवंटन को निरस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

करने के अधिकार नही दिये गये है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 22.1.18 खारिज फरमाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करने का भी अपील मीमो पर निवेदन किया गया है।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि ग्राम बड़ोपल की जमाबन्दी सम्वत 2062 से 65 में खाता सं. 87 पर काल्पनिक रूप से दर्ज किया गया है। जो वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 165 पर दर्ज है। पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकरी के आदेश के बिना रकबा रिकार्ड मे दर्ज करने पर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, बिना नामान्तकरण के सीधे ही पटवार परत में खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिये। समस्त हवाई कार्यवाही की गई हे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22—01—2018 सही है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :—

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि अपीलान्टगण को दिनांक 6.5.1987 को तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा पट्टा बडोपल बारानी के खसरा संख्या 1192, 1284, 1293 की 3.795 हैक्टर भूमि का का आराजी काश्त हेतु आवंटन किया गया था। था। जिसको निरस्त नही किया जा सकता।

न्यायालय के अनुसार जिस पटवारी द्वारा अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया वो किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज नही किया गया है, उस पटवारी के खिलाफ पुलिस थाना पीलीबंगा मे मुकदमा दर्ज है तथा इस संबध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई, कमेटी की जांच में भी माना गया की पटवारी ने अपने स्तर पर बिना आधार के खाते कायम कर दिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही मानते है। अतः बहस हेतु मुकर्रर दिनांक 5.2.19 से लेकर आज निर्णय लिखवाये जाने की दिनांक 25.02.2019 तक अपीलान्ट्स एवं उसके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से यह अपील अदम हाजरी, अदम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पैरवी एवं गुणावगुण में भी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–01–2018 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 25–02–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।